DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
(ADMINISTRATION BRANCH)

NO: GA/1076/27/Admn/Misc/2020/D-853 Date: 21/11/2022

ENDORSEMENT

The copy of under mentioned letter is forwarded herewith for information and further necessary action:-

Name of Deptt.	Circular N. and Date	Subject
Office of the Minister, (Social Welfare, SC/ST, Cooperative,GE)	No. OSD(VV)/Min/SWSCST/2022/5605 dated 14-11-2022	Regarding various issues related to the services pertaining to persons with disabilities.

Encl:- As above

Dy. Director(Admn.)

Diary No. 1297 PD(Sys) 48
Date 21/11/22
Computer Division (DUSIB)
Govt. of NCT of Delhi

Copy to

1 .PS to CEO(DUSIB)
2 PS to Member(Admn./Finance)
3. Chief Engineer, DUSIB
4. All Directors,DUSIB
5. SE(Coordn.)
6. Dy. Director (IT)-upload on DUSIB website portal.
7. Guard File/office copy

21.11.22

DD (Admn.)
Diary No. 3923
Date 16/11/22

E-1177552/CRU2
14/11/2022

Office of the Minister
(Social Welfare, SC/ST, Cooperative, GE)
Room No. C-702, C-Wing, 7th Floor, Delhi Secretariat,
IP Estate, New Delhi
Ph. No. 23392369, 23392370, 23392386, 23392348-Fax
E-mail: minswscst.delhi@gmail.com

No.OSD(VV)/Min/SWSCST/2022/ 5605 Dated: 11.11.2022

Undersigned is directed to forward the representation received from Sh.Kapil Kumar Agarwal, National President, Federation of Disabled Rights. It is regarding various issues related to the services pertaining to persons with disabilities.

In view of the above, you are requested to do the needful under your jurisdiction. Copy of the same may also be provided for the perusal of the Hon'ble Minister.

Encl. As above

11/11/2022
(Vishal Verma)
OSD to Minister

Divisional Commissioner (Revenue)

Secretary (Health)

Secretary (Social Welfare)

Secretary (SC/ST)

Secretary (Education)

Chairman and Managing Director (DTC)

CEO (DUSIB)

Secretary (Employment)

We may circulate it to all directors.
16/11/22

DD (Admn)
17/11/22

18/11/22

FEDERATION OF DISABLED RIGHTS
(NATIONAL ADVOCACY GROUP)
(REGISTERED UNDER THE SOCIETY REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Office : G-332, Mangol Puri, New Delhi-110083
Phone : 011-279115733, 9811015733
@DisabledRights
disabledright@gmail.com
federationofdisabilityrights
federationofdisabledright.org

215/c

Ref. No. FDR/2022-23/Adm/D-33

Date 9-11-2022

सेवा में,

श्रीमान राज कुमार आनंद जी,
माननीय मंत्री
दिल्ली सरकार,
दिल्ली सचिवालय,
दिल्ली–110002.

विषय :– दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु दिल्ली सरकार के विभागों के सचिव/निदेशक की संयुक्त रूप से बैठक करने के संदर्भ में।

आदरणीय महोदय,

पत्र के माध्यम से आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ दिव्यांगजनों की समस्याओं के कुछ ऐसे मुद्दे है जिनके निवारण हेतु आपके माध्यम से दिल्ली सरकार के कुछ विभागों के सचिव/निदेशक की एक संयुक्त बैठक की जाऐ जिसमें दिल्ली सरकार के विभाग जैसेः– राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, परिवहन विभाग, रोजगार विभाग, सम्मलित हो। जिसमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाऐं :–

समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकारः–	बिंदु संख्या –1	समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए टीसीपीसी को दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कार्य करने के संदर्भ में।
	बिंदु संख्या –2	दिल्ली सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को मोटर ट्राईसाईकिल एवं सहायक उपकरण देने के सम्बन्ध में।
	बिंदु संख्या –3	दिल्ली सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को विवाह हेतू प्रोत्साहन राशी देने के सम्बन्ध में।
	बिंदु संख्या –4	अनुदान योजना 2008 में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण देने की योजना बनानी चाहिए।
	बिंदु संख्या –5	अनुदान योजना 2008 में दिव्यांगजनों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की योजना बनानी चाहिए।
	बिंदु संख्या –6	दिल्ली में दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण देने के संदर्भ में।
	बिंदु संख्या –7	आपके विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग शिविर लगाए जाते है उसकी गाईड लाइन काफी पुरानी है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है।
	बिंदु संख्या –8	आपके विभाग के जिला कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए मार्गदर्शन Help Desk होना चाहिए ताकि उनको आपके विभाग की जानकारी तथा अन्य जानकारी मिल सकें।
	बिंदु संख्या –9	समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) देने के संदर्भ में।
	बिंदु संख्या –10	दिव्यांगजनों हेतु विभाग की ओर से इलाज के लिए बीमा पॉलिसी होनी चाहिए ताकि दिव्यांगजन अपना बड़े से बड़ा इलाज करवा सकें।

	बिंदु संख्या –11	समाज कल्याण विभाग को क्या जानकारी है सरकार ने मिशन 100 खेल योजना में दिव्यांग खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नही दिया गया जिससे समस्त दिव्यांग खिलाड़ी निराश है।
	बिंदु संख्या –12	प्रतेक विभाग में दिव्यांगजनों हेतू एक शिकायत/सुझाव बॉक्स होना चाहिए
	बिंदु संख्या –13	लड़ली जैसी योजना दिव्यांगजनों के बच्चों के लिए भी होनी चाहिए।
	बिंदु संख्या –14	समाज कल्याण विभाग
	बिंदु संख्या –15	समाज कल्याण विभाग में पुर्नवास अधिकारी हर क्षेत्र में अभी तक नियुक्त नही हो पाया जबकि पद बन चुका है 2019 में ही जिसके लिए अभी दो सप्ताह पहले ही पत्र भी दिया। मंत्री जी ने टीवी पर घोषणा भी किया था।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार	बिंदु संख्या –1	दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के फंड़ के माध्यम से दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार, द्वारा बनाए गए बारातघर को विभाग द्वारा ही चलाने की सूचना के संदर्भ में।
	बिंदु संख्या –2	दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा मकान या दुकान का आवंटन किया जाना चाहिए।
मुख्य मंत्री कार्यालयः–	बिंदु संख्या –1	दिल्ली मे सभी विभागों में विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
	बिंदु संख्या –2	राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा उनके सर्वप्रथम सम्बोधन में कहां गया कि प्रत्येक राज्य में विकलांग विभाग अलग होना चाहिए लेकिन कुछ सरकार तो समझ गई लेकिन दिल्ली सरकार सात साल बाद भी ऐसा कुछ करने में सक्षम क्यों नही हुई इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है इसका निर्णय दिल्ली सरकार को करना चाहिए।
	बिंदु संख्या –4	विभाग में काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी और स्टाफ को नेम प्लेट के नीचे उसकी आर.सी.आई. योग्यता और आर.सी.आई. पंजीकरण क्रमांक लिखा होना चाहिए जिससे की दिव्यांग व्यक्ति को विश्वास हो सके की उसकी समस्या को समझने वाला व्यक्ति योग्य है।
	बिंदु संख्या –5	सभी सरकारी विभागों में सप्ताह में या दो सप्ताह में एक दिन दिव्यांगजनों की समस्याओं का निपटारे के लिए निर्धारित होना चाहिए।
	बिंदु संख्या –6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग/सफाई आयोग/अल्पसंख्यक आयोग/ओबीसी आयोग, की तरह दिल्ली सरकार में विकलांग आयोग का गठन कराने के संदर्भ में।
स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकारः–	बिंदु संख्या –1	दिल्ली में विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने का तरिका सभी अस्पतालों में एक जैसा होना चाहिए।
रोजगार निदेषालय (मुख्यालय):–	बिंदु संख्या –1	दिल्ली में दिव्यांगों हेतु ज्यादा से ज्यादा रोजगार मेलों का आायेजन होना चाहिए।
	बिंदु संख्या –2	शिक्षित आशिक्षित दिव्यांगजनों को तत्काल रोजगार दिया जाए जैसे– कि माल्टीनेशनल कंपनियों में प्राईवेट लिमिटेड कंपनियो में शॅपिंग मॉलो में, प्राईवेट एजेंसियो में, गैर सरकारी संगठनो में, कमर्शियल ऑफिस में, बड़े छोटे शोरूमों में, नौकरी दिलाने का आदेश जारी किया जाए।
दिल्ली परिवहन विभागः–	बिंदु संख्या –1	दिल्ली परिवहन विभाग दिव्यांगजनों हेतु लाईसेंस व ई–रिक्शा लाईसेंस के संदर्भ में।
	बिंदु संख्या –2	दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग को ड्राईविंग लाइसेंस बनाने को परिवहन विभाग की मनमानी –जैसे कि उच्च न्यायालय का एक निर्णय के अनुसार श्रवण बाधित व्यक्ति को ड्राईविंग लाइसेंस बनाने का आदेश लेकिन परिवहन विभाग के पास कोई दिशानिर्देश नही है। अब स्थिति यह है कि आर.टी.ओ. में उच्च न्यायालय का निर्णय की कॉपी दिखाने पर कोई आर.टी.ओ. बना देता है और कोई नही इसके लिए विभाग की तरफ से आर.टी.ओ. को कोई साफ दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए।
	बिंदु संख्या –3	मैट्रो रेल में दिव्यांगजनों को किराय में छूट मिलनी चाहिए
	बिंदु संख्या –1	राजस्व विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को स्थायी पहचान पत्र (एसडीएम आई कार्ड) जारी करने के सदर्भ में।

राजस्व विभाग, दिल्ली सरकारः–	बिंदु संख्या –2	दिल्ली के दिव्यांग जो किराए के मकान में रह रहे है उन्हें मकान मालिक परेशान कर रहे है सरकार द्वारा मकान मालिको को किराया दिया जाए या कोई योजना बनाई जाए जो मकान मालिक 3 महीने का किराया न मांगें।
	बिंदु संख्या –3	दिल्ली में कोई भी सरकारी पुनर्वास केन्द्र ऐसा नही है जहां पर दिव्यांगों को समस्याओं का निपटारा किया जा सकें जैसे शिक्षा पुनर्वास, कानूनी सलाह, आदि वैसे इन सभी समस्याओं की शिकायत आप आयुक्त विकलांगता से कर सकते है लेकिन वह तक हर व्यक्ति का पहुचना संभव ही नही हो पाता समाज कल्याण विभाग के प्रत्येक जिला में शिकायत निवारण अधिकारी होना चाहिए जो विकलांगता से सम्बधिंत मामलो की जानकारी हो।
अनूसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा विभाग, दिल्ली सरकार	बिंदु संख्या–1	दिल्ली के दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाए कि कोई भी बैठक में सिर्फ आधार कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र से (5000 से लेकर 50000 तक का लोन मुहैया कराया जाए।
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार	बिंदु संख्या –1	केन्द्रिय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार दिव्यांग छात्रो को जो सुविधा देने का प्रावधान है उसके बारे में स्कूल स्टाफ को जानकारी ही नही है जैसे किसी को अतिरिक्त समय दिया जाना है किसी छात्र को लिखने वाला की सुविधा देने का प्रावधान है लेकिन स्कूल को इसकी जानकारी ही नही है। केन्द्रिय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिव्यांग छात्र को दी जाने वाली सुविधाएं इसको एक बोर्ड पर लिखकर सभी स्कूलों में लगाना अनिवार्य होना चाहिए अन्यथा दिव्यांग छात्र सुविधाओं से वंचित रह जाते है। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग के पास क्या जानकारी है।
	बिंदु संख्या –2	दिव्यांग मॉ –बा पके सामान्य बच्चों को स्कूल दाखिमें छूट होनी चाहिए।

अतः आपसे निवेदन है कि आप दिव्यांगजनों के इन समस्यओं के विषयों पर चर्चा करके एक संयुक्त बैठक कर उचित निवारण करें आपकी अति कृप्या होगी।

सहधन्यवाद

कपिल कुमार अग्रव
राष्ट्रीय अध
98110157

प्रतिलिपिः–

1. सेवा में,

श्रीमान मुख्य मंत्री जी,
दिल्ली सरकार,
दिल्ली सचिवालय,
नई दिल्ली–110002.

2. सेवा में,

श्रीमान आयुक्त महोदय जी, (विकलांगता),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
25, डी–माता सुदंरी रोड़
नियर गुरू नानक नेत्र केन्द्र,
नई दिल्ली–110002.

कपिल कुमार अग्रवा
राष्ट्रीय अध्य
981101573